न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2020 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राधाकिशन उम्र 72 वर्ष पुत्र हरबक्स
2. घनश्याम उम्र 38 वर्ष पुत्र मूलचन्द
3. रामखिलाडी उम्र 35 वर्ष पुत्र मूलचन्द
4. रामेश्वर उम्र 45 वर्ष पुत्र गंगासहाय
5. मनोहर उम्र 40 वर्ष पुत्र गंगासहाय
6. महेन्द्र उम्र 20 वर्ष पुत्र रामअवतार
7. सुशीला उम्र 45 वर्ष पत्नि रामअवतार
8. सतीश उम्र 18 वर्ष पुत्र रामअवतार

समस्त जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलसी उम्र 60 वर्ष पत्नि सुरजन
2. रणजीता उम्र 60 वर्ष पुत्र छीतर

जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बसवा जिला दौसा।

3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 19.11.2004 जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 को वाकै ग्राम पापडाकी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 429 में से रकबा 0.48 है. का आवंटन किया गया है।)

उपस्थिति : श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 28.07.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन नियमों की अवहेलना करके एवं वैकेट लैण्ड भूमि नहीं होने के बावजूद भी बिना उद्घोषणा जारी किये व बिना उद्घोषणा के तामील कराये बिना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ग्राम पापडाकी तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 0.48 है. का दिनांक 19.11.2004 को आवंटन कर दिया। जिसके वर्तमान नम्बर 849/429 रकबा 0.48 है. किस्म बंजड अंकित है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 19.11.2004 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने विधि विरूद्ध प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत प्रश्नगत आवंटन आदेश जारी किया गया है। बिना उद्घोषणा जारी किये व बिना उद्घोषणा की तामील कराये व बिना मीटिंग बुलाये व मीटिंग की सूचना दिये बिना उक्त भूमि आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज है तथा उसका उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आवंटन बिना रिकॉर्ड की जांच किये व बिना कब्जे की जांच किये एवं बिना वैकेट लैण्ड हुये बिना ही आवंटन किया गया है। उक्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर 114/1/1 रहे है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 राधाकिशन व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मूलचन्द उर्फ मूल्या व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 5, 7 के दादा व प्रार्थी संख्या 6 के दादीससुर गंगासहाय के कब्जे की भूमि रही है। इनका सम्वत 2024 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2024, 2025, 2031, 2034 में प्रार्थीगण के कब्जे का इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर पशुओं को चराने के लिये चारा करते है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी की भूमि है, चराई के प्रयोजनार्थ भूमि रिजर्व है। जो कृषि हेतु उपलब्ध नहीं है। जिसका सम्वत 2043 से 2044 की जमाबन्दी में भी इन्द्राज हो रहा है। गैर मुमकिन नदी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा बिना प्रार्थी को सूचना, सुनवाई का अवसर दिये ही भूमि आवंटन किया गया है। अतः उक्त विधि विरूद्ध एवं प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि पर किये गये भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.11.2004 को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि दिनांक 19.11.2004 को ग्राम पापडाकी तहसील बसवा स्थित खसरा नम्बर 425 में से 0.13 है. खसरा नम्बर 532 में से 0.11 है. खसरा नम्बर 534 में से 0.56 है. खसरा नम्बर 535 में से 0.07 है. खसरा नम्बर 429 में से 0.48 है. कुल रकबा 1.35 है. भूमि किस्म बंजड का आवंटन रणजीत पि. छीतर एवं श्रीमति तुलसी पत्नि सुरजन जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बसवा को आवंटन कमेटी की सिफरिश पर किया गया है। जिसकी खातेदारी 2010 में प्रदान की गई थी। खसरा नम्बर 429 में से अन्य व्यक्तियों धनसिंह पुत्र शिवलाल गुर्जर, हरीसिंह पुत्र गंगासहाय गुर्जर, देवीसहाय पुत्र गंगासहाय गुर्जर, रामफूल पुत्र श्रवण गुर्जर को दिनांक 19.11.2004 एवं विश्राम, जगदीश पुत्र रामप्रताप गुर्जर को भी दिनांक 12.04.2005 को भूमि आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.11.2004 में किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध 16 वर्ष पश्चात् वर्ष 2020 में प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधिवत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध स्वयं के लिये कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि आवंटी को दिनांक 19.11.2004 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 429 में से अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटन किया गया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के लिये कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना भी सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 19.11.2004 ग्राम पापडाकी तहसील बसवा बहक रणजीत पि. छीतर पि. एवं श्रीमति तुलसी पत्नि सुरजन जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बसवा के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा